भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- **389**

दिनांक **19** जुलाई, 2022 के लिए प्रश्न

दुग्ध उत्पादन हेतु सहकारी समितियों का संवर्धन

389. श्री चन्दन सिंह:

श्री दिलेश्वर कामैत:

श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:

श्रीमती लॉकेट चटर्जी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने के लिए गुजरात की तर्ज पर सभी राज्यों में दूध, अन्य दुग्ध उत्पाद, पशु आहार आदि के उत्पादन हेतु सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ग) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार मुख्य रुप से डेयरी सहकारी समितियों सहित सहकारी डेयरी क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंदित करते हुए निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी):

विभाग देश भर में डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक कम्पनियों द्वारा गुणवत्ता वाले दूध के उत्पादन, दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना का सृजन/सुदृढीकरण के उद्देश्य से देश भर में एनपीडीडी योजना लागू कर रहा है। योजना को वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए जुलाई 2021 में पुनर्गठित/पुनर्संरेखित किया गया है।

(ii) डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ):

डीआईडीएफ को दिसंबर 2017 में राज्य सहकारी और कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत डेयरी सहकारी समितियों, बहु-राज्य डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी), एनडीडीबी की सहायक कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान

उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए दूध प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और प्रशीतन सुविधाओं के सृजन/ सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से 11,184 करोड़ रुपये (8,004 करोड़ रुपये का ऋण घटक) के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। डीआईडीएफ को वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक लागू किया जाना है जिसकी चुकौती अवधि वर्ष 2030-31 तक होगी, जो वित्त वर्ष 2031-32 की पहली तिमाही तक चलेगी।

(iii) डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसीएफपीओ) को सहायता:

डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसीएफपीओ) को सहायता देने वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना को 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक एकछत्र योजना "अवसंरचना विकास निधि" के एक हिस्से के रूप में लागू किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के संकट से निपटने के लिए सुलभ कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करके सहायता करना है। डेयरी क्षेत्र पर कोविड -19 के आर्थिक प्रभाव के कारण, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए 203 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सहायता" एक नया घटक शुरु किया गया है। इस प्रकार योजना का वास्तविक कार्यान्वयन वर्ष 2020-21 के दौरान शुरू हुआ। अन्य घटक नामतः "कार्यशील पूंजीगत ऋण" को वर्ष 2020-21 से निलंबित रखा गया था।

(iv) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम):

आरजीएम योजना को उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके धारणीय रुप से बोवाईनों की उत्पादकता को बढ़ाने और दूध उत्पादन में वृद्धि करने के साथ-साथ वैज्ञानिक और समग्र तरीके से देशी गोपशुओं और भैंसों के पालन और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

(v) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम):

भारत सरकार देश में चारे की उपलब्धता में सुधार करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से पुनर्संरेखित राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) को लागू कर रही है। इस योजना के आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन का उद्देश्य चारा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता में सुधार के लिए चारा बीज श्रृंखला को मजबूत करना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) इस योजना के तत्वावधान में बड़े पैमाने पर चारा बीज उत्पादन करने के लिए डेयरी सहकारी समितियों को सुविधा प्रदान कर रहा है।

*****